



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237882
CG-DL-E-03082022-237882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3484]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944

No. 3484]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

का.आ. 3651(अ).—केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री अरविंद कुमार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर दिनांक 3 अगस्त, 2022 से नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. 399/5/2021-एवीडी-III-खंड (4)]

राहुल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

S.O. 3651(E).—The President, in exercise of the powers conferred by the Section 4(1) of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), is pleased to appoint Shri Arvinda Kumar as Vigilance Commissioner in Central Vigilance Commission, with effect from 3rd August 2022.

[F. No. 399/5/2021-AVD-III-Part (4)]

RAHUL SINGH, Jt. Secy.